आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
07/3/24		

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-57/23-24

सुशील लकडा वगैरह–बनाम–राजकुमारी देवी

आदेश

आवेदक गण (1) सुशील लकडा, पिता स्व० तोता लकड़ा (2) राजन लकड़ा, पिता स्व० पीटर लकड़ा, सभी निवास ग्राम–कुसई बस्ती, थाना डोरण्डा, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी राजकुमारी देवी, पति सुरेश सिंह, निवास स्थान–कुसई कुम्हार टोली, थाना डोरण्डा, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लौट नं०	रकवा
कुसई	222	05	192	20 डी०

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर०एस० खतियान में टुटग उरांव वो बुधुवा उरांव पेशरान जेगो कौम उरांव के नाम से दर्ज है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदकगण ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि को टुटग उरांव वो बुधुवा उरांव पेशरान जेगो का नाम दर्ज है, और ठुटुंग उरांव अपने पीछे (1) तुलसी उरांव (2) मादी उरांव (3) बुधुवा उरांव को छोड़ गये है।

Mi- 7/3/24

कृ०पृ०उल्टे

(1) तुलसी उरांव भी अपने पीछे (1) बिरसा लकड़ा (2) पीटर लकड़ा (3) बुधुवा उरांव को छोड़ गये है। पीटर लकड़ा अपने पीछे (1) रंजदुस लकड़ा (2) राजन लकड़ा (आवेदक) को छोड़ गये है। मादी उरांव भी अपने पीछे (1) बिरसा उरांव (2) तोता लकड़ा को छोड गये है। तोता लकड़ा भी अपने पीछे (1) सुधीर उरांव (2) सुशील लकड़ा (आवेदक) को छोड़ गये है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी जबरन वर्णित भुमि पर दखलकार है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण के पक्ष में वर्णित भुमि को भु–वापसी का आदेश पारित किया जाय।

विपक्षी राजकुमारी देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित ब्यान में कही हैं कि प्लॉट नं०–192 रकवा–13 डी० भूमि वर्ष 1954 ई॰ में हासिल किये है, और मकान बनाकर सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं, मकान निमार्ण के पश्चात नगर निगम राँची नगर निगम से होल्डिंग कराकर टैक्स का भुगतान करते चले आ रहें है। वर्ष 1968 ई० में सब–जज, राँची के न्यायालय में स्वत्व वाद सं०–353/1968 श्रीमती राजकुमारी देवी वगैरह बनाम तुलसी उराँव वगैरह के नाम से दायर किया गया था। सक्षम न्यायालय ने उभय पक्षों के सुनने के बाद विपक्षी के पक्ष में कम्परमाईज डिक्री का आदेश पारित किया। पारित आदेश के विरूद्ध में आवेदकगण के पूर्वज किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं किये है। आवेदकगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर वाद समय के बिन्दु पर कालबाधित है। चूंकि भूमि का वास्तविक अंतरण वर्ष 1954 में किया गया है, जबकि आवेदकगण भूमि वापसी के लिए वर्ष 2023 में वाद दायर किये है। अंतरण की तिथि से लगभग 70 वर्षो के बाद यह वाद दायर किया गया है, जो किसी भी आधार पर पोषनीय नहीं है। हस्तान्तरित की तिथि से विपक्षी सपरिवार उक्त भूमि पर अपना-अपना मकान बनाकर शांति पूर्वक दखलकार है। वर्तमान में विपक्षी ही उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखलकब्जा है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक गण का आवेदन को खारिज किया जाय, एवं विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया जाय।

उभय पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाह प्रस्तुत किया गया साथ गवाही का प्रतिपरीक्षण भी किया गया। आवेदक की ओर गवाह सं०–1 सुशील लकडा ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदकगण खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है।

Aij 7/3/24

कृ०पृ०उल्टे

विपक्षी 1954 से घर बनाकर रहते चले आ रहें है, तथा वर्णित भूमि के संबंध में सब–जज के न्यायालय में वर्ष 1968 में टाईटल सूट का केस हुआ था, इस बात की जानकारी नहीं है और मुकदमें का फैसला किसके पक्ष में आया यह भी जानकारी नहीं है। विपक्षी के द्वारा नाजायज तरीके से भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। यह वाद 70–75 वर्षो के बाद किया गया है। गवाह सं०–2 राजन लकडा ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदक गण खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी गण है, और विपक्षी 1954 से घर बनाकर रहते है, तथा न्यायालय में वर्ष 1968 में टाईटल सूट का केस हुआ था, इस बात की जानकारी नहीं है और मुकदमें का फैसला किसके पक्ष में आया यह भी जानकारी नहीं है। केस मेरे द्वारा किया गया है, परिवार के अन्य सदस्य इस वाद में वादी नहीं है। विपक्षी के द्वारा नाजायज तरीके से भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। यह वाद 70–75 वर्षो के बाद किया गया है। गवाह सं०–3 विलियम लकडा ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदक गण खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी गण है, विपक्षी का नाम नहीं जानते है, यह वाद में आवेदक गण के द्वारा किया गया है, इनके वंशज कब हस्तान्तरित किया जानकारी नहीं है, विपक्षी भूमि पर मकान का मेरे होश संभालने से ही देख रहा हूँ, टाइटल सुट हुआ है जानकारी नहीं है। विपक्षी की ओर गवाह सं०–1 राजकुमारी देवी ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदकगण परेशान करने के नियत से यह वाद किया है। वर्ष 1954 से घर बनाकर रहते है, तथा होल्डिंग टैक्स भी अदा करते है। न्यायालय में वर्ष 1968 में टाईटल सूट का केस हुआ था। भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। यह वाद 70–75 वर्षो के बाद किया गया है। गवाह सं०–2 जवाहिर प्रसाद यादव ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदकगण परेशान करने के नियत से विपक्षी पर यह वाद किया है। वर्ष 1954 से घर बनाकर रहते है, तथा होल्डिंग टैक्स भी अदा करते है। न्यायालय में वर्ष 1968 में टाईटल सूट का केस हुआ था, जो विपक्षी के पक्ष में फैसला आया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुना गया। गवाहों के गवाही एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस वाद को आदेश पर रखा गया।

Mi 7/3/24

कृ०पृ०उल्टे

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विवादित भूमि आर०एस० खतियान में टुटग उरांव वो बुधुवा उरांव पेशरान जेगो के नाम से दर्ज पाया गया है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण, तथा खतियान रैयत के वंशज में आते हैं। जबकि विपक्षी प्लॉट नं०–192 रकवा–13 डी० भूमि को वर्ष 1954 ई० में हासिल किये है, तथा वर्ष 1968 ई० में सब–जज, राँची के न्यायालय में स्वत्व वाद सं०–353/1968 श्रीमती राजकुमारी देवी वगैरह बनाम तुलसी उराँव वगैरह के नाम से वाद दायर किए है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि उभय पक्ष की आपसी सुलह होने के पश्चात भूमि विपक्षी को हस्तान्तरित हुआ और मकान बनाकर सपरिवार निवास करते चले आ रहे है। मकान का राँची नगर निगम से होल्डिंग कराकर टैक्स का भुगतान करते चले आ रहें है। आवेदकगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर वाद समय के बिन्दु पर कालबाधित है। प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1954 है, आवेदकगण के द्वारा लगभग 70 वर्षो के बाद भू–वापसी का यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला– C.W.J.C.No.-645/1979(R) मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार एवं जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994)(1) पी०एल०जे० आर० पृ०–91, लुकस खरीया बनाम बडाईक बहादुर सिंह 2005(3) जे०सी०आर० पृ०–132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने यह व्यवस्था दी है कि धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu & Ors-vrs - State of Jharkhand के आदेश दिनांक–10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है– Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65- Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders-Sustainability of-Power

17/3/24

under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time-Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act- Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable वर्तमान वाद में भी आवेदन समय–सीमा के अन्दर दायर नहीं की गई है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। अतः आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 7/3/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Sd/- 7/3/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.12 16:17:21 +05:30
Location: 192.168.132.39